न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– मूल सिंह बनाम पृथ्वी सिंह आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 38 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि आवेदक एंव अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य है। कृषि भूमि अंतर्गत खाता सं0 472 नया 453 पुराना ख0नं0 1420 रकबा 0.6400 है0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर में स्थित है। इसमें आवेदक का हिस्सा 1/2, अनावेदक सं0 1 का हिस्सा 3/64, अनावेदक सं0 02 का हिस्सा 1/4,अनावेदक सं0 3 का हिस्सा 13/64 निहित है। आवेदक व अनावेदक सं0 1 ता 3 की वर्णित भूमियां पुश्तैनी है। पक्षकारान के मध्य आज तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इस कारण पक्षकारान उक्त भूमियों में संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारान के मध्य उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण आवेदक को अपने हक हिस्से की भूमियों को समुचित रूप से विकसित करने में असक्षम है।आवेदक उक्त भूमियों में काश्त कर अपना व परिवार का पालन करता है। अनावेदक सं0 1 ता 3 जो कि झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, वे आये दिन प्रार्थी कों हैरान परेशान करते है तथा भूमियों में काश्त कार्य करने से अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान कर प्रार्थी से झगड़ा करने पर आमादा रहते है। आवेदक द्वारा अनावेदक सं0 1 ता 3 को भूमियों का विधिवत बाई मिट्स एंड बाउण्डस विभाजन करने हेतु कहा तो आवेदक को अनर्गल कथन कर समय निकाला जाकर बंटवारा नहीं किया जा रहा है। इस कारण आवेदक को माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। आवेदक ने आवेदन पत्र अं0 धारा 212 रा0का0अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण वाद के गुणावगुण व मेरिट के आधार पर होना है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए है। पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर	

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि ख0नं0 1420 रकबा 0.6400 है0 ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू भू0अ0नि0 रानोली तहसील दांतारामगढ़, सीकर में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner